न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 38/2019

1 अनिल कुमार पुत्र रामेश्वर सिंह।
2 कमला देवी पत्नी अनिल कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 फूला पुत्र हरदेवा।
2 गीता पत्नी ताराचन्द।
3 सज्जन कुमार पुत्र ताराचन्द।
4 विजयपाल पुत्र ताराचन्द।
5 गोपाल पुत्र हरदेवा समस्त जाति जाट निवासीगण थोरासी तहसील धोद जिला सीकर।
6 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कूदन जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
7 पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादिया जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रसीदपुरा जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पलथाना जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
10 हल्का पटवारी पटवार हल्का पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।
11 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 14/2018 उनवानी फूला बनाम अनिल कुमार आदि दिनांक 12.06.2018

अपील संख्या 37/2019

1 अनिल कुमार पुत्र रामेश्वर सिंह।
2 कमला देवी पत्नी अनिल कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 फूला पुत्र हरदेवा।
2 गीता पत्नी ताराचन्द।
3 सज्जन कुमार पुत्र ताराचन्द।
4 विजयपाल पुत्र ताराचन्द।
5 गोपाल पुत्र हरदेवा समस्त जाति जाट निवासीगण थोरासी तहसील धोद जिला सीकर।
6 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कूदन जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
7 पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादिया जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रसीदपुरा जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पलथाना जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 हल्का पटवारी पटवार हल्का पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।
11 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 14/2018 उनवानी फूला बनाम अनिल कुमार आदि
दिनांक 09.01.2019

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.09.21

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 एवं 09.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटसंख्या 1 ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष विवादित भूमियों खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 529,530,531,532 तन ग्राम थोरासी पटवार हल्का पलथाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कूदन तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है के, निमित अपीलाधीन वाद संख्या 14/2018 उनवानी फूला बनाम अनिल कुमार आदि प्रस्तुत करके दिनांक 12.06.2018 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 09.01.2019 को निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित करवा ली। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व न तो समस्त पक्षकारान की तलबी बाबत आदेश पारित किय गये तथा न ही उपस्थित पक्षकारान को जवाब दावा प्रस्तुति का अवसर दिया गया न ही उनका जवाब दावा बंद किये जाने बाबत कोई आदेश ही पारित किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही वाद में अपनायी जाने वाली प्रकियात्मक विधि के आदेशात्मक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पादित की गई है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नही है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता को राजीनामा प्रस्तुत करने की कोई सहमती नही दी थी। अपीलांट की सहमती के अभाव में केवल अधिवक्ता की सहमती के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत अपील स्वीकार योग्य नही है क्योंकि आर.एल.डब्ल्यू 2007 (1) आर.जे. पेज 67 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि" धारा 223 में कोई बन्धन नही कि सहमती डिक्री की अपील नही होगी– धारा 96 (3) राजस्व न्यायालयों की डिक्रीयों से होने वाली अपील पर लागु नही होती – अपील पोषणीय है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.03.2018, 05.04.2018 में पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में होना अंकित है दिनांक 05.04.2018 को आगामी तिथि 17.05.2018 अंकित की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 17.05.2018 की कोई कार्यवाही अंकित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ही नही है अपितु सीधे ही दिनांक 12.06.2018 को पत्रावली बिना कोई नोटिस जारी किये राजस्व लोक अदालत कैम्प पलथाना में प्रस्तुत होने का अंकन कर प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरित है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2007 (1) आर. जे. पेज 67,आर.एल.डब्ल्यू 2006(1) आर.जे. पेज 324 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील सहमती के आधार पर पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमती से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। आदेश 96 (3) सीपीसी के अन्तर्गत ऐसे निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू.एल.सी. (राजस्थान) 2015 (1) पेज 721, ए.आई.आर. 1991 सुप्रिम कोर्ट पेज 2234, ए.आई.आर. 2006 पेज 2628 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व न तो समस्त पक्षकारान की तलबी बाबत आदेश पारित किय गये तथा न ही उपस्थित पक्षकारान को जवाब दावा प्रस्तुति का अवसर दिया गया न ही उनका जवाब दावा बंद किये जाने बाबत कोई आदेश ही पारित किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही वाद में अपनायी जाने वाली प्रकियात्मक विधि के आदेशात्मक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पादित की गई है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता को राजीनामा प्रस्तुत करने की कोई सहमती नही दी थी। अपीलांट की सहमती के अभाव में केवल अधिवक्ता की सहमती के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत अपील स्वीकार योग्य नही है क्योंकि आर.एल.डब्ल्यू 2007 (1) आर.जे. पेज 67 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि" धारा 223 में कोई बन्धन नही कि सहमती डिक्री की अपील नही होगी – धारा 96 (3) राजस्व न्यायालयों की डिक्रीयों से होने वाली अपील पर लागु नही होती – अपील पोषणीय है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.03. 2018, 05.04.2018 में पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में होना अंकित है दिनांक 05.04.2018 को आगामी तिथि 17.05.2018 अंकित की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 17.05.2018 की कोई कार्यवाही अंकित ही नही है अपितु सीधे ही दिनांक 12.06.2018 को पत्रावली बिना कोई नोटिस जारी किये राजस्व लोक अदालत कैम्प पलथाना में प्रस्तुत होने का अंकन कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरित होने से विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 को स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्म निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर